संख्या-51/2025/1360/77-6-25-01(केस-टू-केस/IIEPP-2022)/2024

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इन्वेस्ट यू0पी0।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 08 जुलाई, 2025**

विषयः उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्रदेश में अल्ट्रा मेगा श्रेणी के औद्योगिक इकाईयों हेतु केस-टू-केस आधार पर कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-17/इन्वेस्ट यू0पी0/HLEC10वीं बैठक/2024-25, दिनांक 02.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर-12.4 के अन्तर्गत प्रदेश में विशेष महत्व की अल्ट्रा मेगा श्रेणी में मेसर्स सेल सोलर पी6 प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित परियोजना के क्रम में केस-टू-केस आधार पर आवेदित कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज अनुमन्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है-

कंपनी/स्थान/क्षेत्र	**निवेश (₹ करोड़)**	**भूमि का क्षेत्रफल एवं श्रेणी**	**श्रेणी**	**उत्पाद**
मेसर्स सेल सोलर पी6 प्रा0लि0, यीडा (गौतमबुद्धनगर)	8,253.00	200 एकड़ यीडा द्वारा आवंटित की जाएगी।	केस-टू-केस	05 गीगावाट के सौर सेल व 05 गीगावाट मॉड्यूल विनिर्माण एवं 100MW का कैप्टिव आरई विद्युत संयंत्र की स्थापना।

3- प्रश्नगत परियोजना उत्तर प्रदेश में सौर मॉड्यूल विनिर्माण इकाई विकसित करने की परियोजना राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। परियोजना का अनुमानित निवेश ₹8253 करोड़ से अधिक है, जिसमें हजारों की संख्या में प्रत्यक्ष रोजगार सम्भावित है। यह परियोजना हरित ऊर्जा की सहायता से 5 गीगावाट की क्षमता वाले सौर मॉड्यूल्स के विनिर्माण हेतु है। परियोजना की स्थापना एवं क्रियान्वयन से आयात निर्भरता को कम करने, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजन, उन्नति प्रोद्योगिकी, नीति लक्ष्यों के साथ संरेखित करने तथा निर्यात को प्रोत्साहित करने आदि लाभ प्राप्त होंगे। परियोजना भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप है तथा हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने एवं सीओपी-28 दुबई में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपर्युक्तानुसार मेसर्स सेल सोलर पी6 प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित परियोजना की रणनीतिक महत्ता के दृष्टिगत उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 एवं तदनुक्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-21/2023/1307/77-6-2023-2(एम)/2022 दिनांक 14.04.2023 में वर्णित प्राविधान तथा शासनादेश संख्या-722/77-6-2025/6099 /225/2023/1761517 दिनांक 16.04.2025 द्वारा निर्गत कार्यवृत्त में अभिलिखित मत/शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपाल केस-टू-केस आधार पर निम्नवत विशेष कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज अनुमन्य करते हुए लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र. सं.	**अपेक्षित सुविधा**	**विवरण**	**शासन द्वारा अनुमन्य कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज के अधीन अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन/ सुविधायें/पैकेज**
1	2	3	4
क	वित्तीय प्रोत्साहन		
1.	भूमि की लागत पर सब्सिडी	भूमि की लागत पर 75% सब्सिडी	सौर सेल एवं मॉड्यूल के निर्माण हेतु उपयोग की जाने वाली भूमि के हिस्से पर वास्तविक भूमि आवंटन लागत के अनुसार 75% फ्रंट एंड भूमि सब्सिडी की संस्तुति की जाती है, न कि सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि पर। फ्रंट-एंड भूमि सब्सिडी के साथ ऐसा भूमि आवंटन यूपी एफडीआई/एफसीआई/ फॉर्च्यून 500 नीति- 2023 में निर्धारित दंड प्राविधानों के अधीन होगा।
2.	स्टाम्प शुल्क में छूट	स्टाम्प शुल्क में 100% छूट	औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति - 2022 के अंतर्गत स्टाम्प विभाग के प्राविधानों के अनुसार समतुल्य राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर यीडा द्वारा (कैप्टिव सौर संयंत्र के विनिर्माण हेतु) आवंटित भूमि पर स्टांप शुल्क में 100% छूट की संस्तुति की जाती है।
3.	भूमि विकास शुल्क	15 वर्ष की अवधि हेतु भूमि विकास शुल्क में छूट	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार का कोई शुल्क नही लगाया जा रहे हैं। इसके आधार पर किसी भी प्रकार के शुल्क लागू नहीं किए जाने की स्थिति में इस प्रकार के छूट की आवश्यकता नहीं होने की संस्तुति की जाती है।
4.	पूंजीगत सब्सिडी	संयंत्र एवं मशीनरी, भवन, कैप्टिव पावर प्लांट, भूमि, अन्य उपयोगों	पात्र पूंजीगत निवेश (ईसीआई) पर 30% पूंजीगत सब्सिडी के साथ-साथ 12% बूस्टर (वास्तविक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		एवं विविध अचल संपत्तियों सहित अन्य निर्माण लागत के कुल निवेश पर 42% (30% स्टैंडर्ड + 12% बूस्टर) पूंजीगत सब्सिडी 5 वर्ष की अवधि में समान वार्षिक किस्तों में वितरित की जाएगी।	लागत के आधार पर लागू) की 5 समान वार्षिक किस्तों में संस्तुति की जाती है, जिसमें औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति- 2022 के मानदंडों के अनुसार जीसीएम लागू किया जाएगा। यहां, पूंजी सब्सिडी की गणना हेतु पात्र पूंजीगत निवेश में भूमि की लागत सम्मिलित नहीं की जाएगी, क्योंकि फ्रंट-एंड भूमि सब्सिडी अलग से ली जा रही है, एवं कैप्टिव सोलर प्लांट हेतु भूमि पर कोई भूमि सब्सिडी अपेक्षित नहीं है।
5.	आरई पॉवर पर बैंकिंग एवं व्हीलिंग शुल्क	15 वर्ष की अवधि हेतु बैंकिंग एवं व्हीलिंग शुल्क पर 100% छूट।	इसे केवल वर्तमान यूपीईआरसी मानदंडों के अनुसार ही प्रदान करने की संस्तुति की जाती है, एवं आवेदक को निम्नलिखित के बारे में सूचित किया गया है, जैसा कि यूपीपीसीएल द्वारा सूचित किया गया है कि- (क) उत्तर प्रदेश सौर नीति - 2022 के अनुसार, तकनीकी व्यवहार्यता एवं यूपीईआरसी विनियमों के अनुपालन के अधीन, उत्तर प्रदेश के भीतर स्थित सौर संयंत्र के कैप्टिव उपयोग हेतु व्हीलिंग शुल्क पर 50% की छूट की अनुमति है। (ख) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बिजली संयंत्रों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन बिजली बैंक की अनुमति दी जा सकती है: - बैंकिंग शुल्क बैंक की गई ऊर्जा का 12% होगा, जबकि सौर एवं पवन ऊर्जा के लिए यह बैंक की गई ऊर्जा का 6% होगा एवं निकासी से पहले इसे बैंक की गई ऊर्जा के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा। - यूपीपीसीएल के नियमों/प्राविधानों के आलोक में आवेदक को निर्दिष्ट प्रोत्साहनों के अतिरिक्त किसी भी अतिरिक्त प्रोत्साहन हेतु यूपीईआरसी के समक्ष याचिका दायर की जा सकती है।
6.	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट	10 वर्ष की अवधि हेतु इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100% छूट	ऐसी किसी छूट की संस्तुति नहीं की गई है। यूपीपीसीएल के पत्र दिनांक 19.03.2025 में उल्लेख किया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी द्वारा उत्तर

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			प्रदेश सरकार को राजस्व प्राप्त होता है; अत: इस संबंध में अंतिम निर्णय विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया जाना उचित होगा।
ख	गैर-वित्तीय प्रोत्साहन		
1	भूमि की आवश्यकता	यीडा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 200 एकड़ भूमि की आवश्यकता	यीडा क्षेत्र में स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज-2 एवं 3 हेतु भूमि अधिग्रहण की दर 4,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर घोषित की गई है। जेवर एयरपोर्ट हेतु घोषित भूमि की यही दर प्राधिकरण के विभिन्न सेक्टरों में क्रय हेतु लागू की गई है। प्राधिकरण के अन्य सेक्टरों हेतु घोषित 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की यही दर लागू किए जाने के संबंध में उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है। (ख). अनुमानित औसत भूमि दर 10,421 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी जो आवंटन के समय लागू दरों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है। साथ ही विकास शुल्क, भूमि अधिग्रहण शुल्क आदि उपरोक्त दरों में सम्मिलित हैं एवं कोई अन्य विकास शुल्क अलग से नहीं लिया जाएगा। यीडा बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत अधिग्रहण एवं दर की पुष्टि की जाएगी। साथ ही, प्राधिकरण के औद्योगिक सेक्टर-8, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की पूर्वी सीमा पर रहने वाले किसान भूमि अधिग्रहण हेतु अपनी सहमति प्रदान कर चुके हैं, अतः बोर्ड बैठक में प्राधिकरण द्वारा आवंटन दरों के निर्धारण के उपरांत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। यीडा द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण पूरा कर आवेदक को भूमि आवंटित की जाए।
2.	भू-आच्छादन	75% भू-आच्छादन की अनुमति।	औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेटबैक नियमों के अंतर्गत 75% भू-आच्छादन की भी संस्तुति की जाती है।
3.	क्लस्टर निवेश	एकल निवेश के एक भाग के रूप में उत्तर प्रदेश में एक ही / अलग-	आवेदक द्वारा निजी भूमि पर बुंदेलखंड क्षेत्र में कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		अलग स्थानों पर दो या दो से अधिक परियोजनाओं पर विचार किया गया	कैप्टिव सोलर संयंत्र की भूमि हेतु किसी सब्सिडी की मांग नहीं की गई है। जबकि आवेदक द्वारा कैप्टिव सौर संयंत्र के लिए संयंत्र एवं मशीनरी, भवन हेतु सब्सिडी की मांग की गई है। इसके लिए आवेदक द्वारा संशोधित डीपीआर, प्रारूप-2 एवं प्रारूप-3 को संशोधित परियोजना विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है। आवेदक को प्रोत्साहन लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से दोनों परियोजनाओं (विभिन्न स्थानों पर) को एक परियोजना के रूप में विचार करने की संस्तुति की जाती है।
4.	ऊर्जा आवश्यकता	परियोजना स्थल पर 80-90 मेगावाट बिजली की आवश्यकता	यीडा द्वारा स्पष्ट किया गया कि बिजली प्रस्तावित परियोजना स्थल तक सीमा तक यीडा द्वारा ही पहुंचाई जाएगी। आवेदक को इस विषय में सूचित भी किया जा चुका है।
5.	आरई संयंत्र	कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र की क्षमता, विनिर्माण संयंत्र की अनुबंधित मांग के 125% तक होने की अनुमति प्रदान की जाएगी	इसे वर्तमान यूपीईआरसी मानदंडों के अनुसार प्रदान करने की संस्तुति की जाती है, जो कि यूपीपीसीएल द्वारा उनके पत्र दिनांक 19.03.2025 में सूचीबद्ध शर्तों के अनुसार है: यूपीईआरसी (ओपन एक्सेस हेतु नियम एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024- (अ) इंडिपेंडेंट फीडर के माध्यम से फ़ीड किए जाने वाले ओपन एक्सेस उपभोक्ता के प्रकरण में, ओपन एक्सेस एवं वितरण लाइसेंसधारी से विद्युत का कुल आहरण 'आपूर्ति संहिता' के अंतर्गत निर्दिष्ट वोल्टेज स्तर हेतु लागू आहरण की अधिकतम सीमा तक अनुमेय होगी, जिससे ओपन एक्सेस उपभोक्ता जुड़ा हुआ है। ऐसी किसी भी सीमा के उल्लंघन के मामले में नोडल एजेंसी द्वारा उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसमें प्रत्येक उल्लंघन हेतु तीन महीने तक ओपन एक्सेस का निलंबन सम्मिलित है। तीन बार से अधिक ऐसा करने पर ओपन एक्सेस को तब तक निलंबित कर दिया जाएगा जब तक कि ओपन एक्सेस उपभोक्ता आपूर्ति संहिता के अनुसार अगले उपयुक्त वोल्टेज स्तर पर अपग्रेड नहीं हो जाता।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			(ब) जबकि कॉमन फीडर के माध्यम से फीड किये जाने वाले ओपन एक्सेस उपभोक्ता के प्रकरण में ओपन एक्सेस एवं वितरण लाइसेंसधारी से होने वाले कुल आहरण की आधिकतम सीमा, वितरण लाइसेंसधारी के साथ अनुबंधित अधिकतम क्षमता तक अनुमेय होगी। इस सीमा से अधिक आहरण होने पर वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसमें नोडल एजेंसी द्वारा प्रत्येक उल्लंघन हेतु तीन महीने तक ओपन एक्सेस को निलंबित किया जायेगा। तीन बार से अधिक ऐसा करने पर ओपन एक्सेस को तब तक निलंबित कर दिया जाएगा जब तक ओपन एक्सेस उपभोक्ता आपूर्ति संहिता के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी के साथ अनुबंधित क्षमता को नहीं बढ़ा लेता।
6.	जल आवश्यकता / निर्वहन	जल की आवश्यकता प्रतिदिन 14-15 मेगा लीटर एवं नि:शुल्क निर्वहन	यह उपलब्ध कराया जाएगा।

भूमि सब्सिडी एवं स्टाम्प शुल्क में छूट के अतिरिक्त अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों का वितरण वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ होने की तिथि के उपरान्त ही किया जाएगा।

भवदीय,

आलोक कुमार

प्रमुख सचिव।

संख्या-51/2025/1360(1)/77-6-25-01(केस-टू-केस/IIEPP-2022)/2024तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर/राजस्व/ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ।
7. आयुक्त स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उ0प्र0।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा/बीडा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, गाजियाबाद/झांसी।
10. प्रबंध निदेशक, पिकप।
11. नियोजन अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रामध्यान रावत

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।